भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2348

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएँ

2348.डॉ. के. सुधाकरः
श्री जुगल किशोरः
श्री चिन्तामणि महाराजः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) बुजुर्ग कामगारों की गरिमा बढ़ाने में स्वास्थ्य शिविरों, पेंशन योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों की क्या भूमिका है और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आयोजित स्वास्थ्य शिविरों, पेंशन योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों की स्थिति क्या है;

(ग) देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बुजुर्ग कामगारों की गरिमा बढ़ाने में स्वास्थ्य शिविरों, पेंशन योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों की क्या भूमिका है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक योजना चलाता है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं:

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। इस योजना का कार्यान्वयन 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जाता है।

(ख) और (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 2010-11 के दौरान "वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू किया था। अक्टूबर, 2024 में "अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस" के उपलक्ष्य में कुल 44279 स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित किए गए थे और 9,15,100 बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं थी। इसके अलावा, देश भर में 3904 वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य देखभाल शिविर आयोजित किए गए और शिविरों के दौरान 33049 वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है तथा प्राथमिक देखभाल पर परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करता है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में देश भर में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भी क्रियान्वित करता है, जो मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। एनएसएपी में तीन पेंशन योजनाएं शामिल हैं - वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं और दो मांग आधारित योजनाएं भी हैं - राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा योजना। कार्यक्रम के तहत, बुजुर्ग, विधवा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर, उत्पादक बनाने और समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनाने तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मार्च 2015 में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी। एनएपी-एसडीपी के अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सितंबर 2023 में पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी भी लॉन्च किया था। यह पोर्टल दिव्यांगजनों, जिन्हें कौशल और रोजगार की आवश्यकता है, के लिए तथा

दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/नौकरी एग्रीगेटर्स के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है। इसके अलावा, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

****